



mPp U;k;ky; e/;in'k] tcyij

@@ijh{kk lly@@

foKkiu diekd 1065@ijh{kk@2018

fnukd %& 16@04@2018

mPp U;k;ky; e/;in'k] tcyij e[; ihB ij (i)jllkb;k (ii)Lohij (iii)ekyh] (iv)HkR; prfki Jt.kh dyDVV jV@vkdflLedrk fuf/k l; oruHkkxh depkj] dh lh/kh HkRhi@fu;fDr gr| foKkiuA

ukV%& ¼1½ vH;Fkhl inoxl (i) (ii) (iii) (iv) e l; doy ,d inoxl gr| gh vkuykbiu vkonu dj ldrk gA

¼2½ vH;Fkhl bl rF; dk fo'k" /;ku n fd mijkDr foKkfir ink e p;fur vH;fFk;k dk oru dyDVV jV d vk/kkj ij ` 7000@& d yxHkx gkxkA

vkonu dju dh vfre frfFk % & 22-05-2018 ¼exyokj½

vkonu e =fV l/kkj dju dh vfre frfFk & 25-05-2018 ¼'kdioKj½

vuoh{k.k%Ldhfux½ dk fnukd & ckn e vf/kIfpr fd;k tkoxkA

e[; ijh{k.k@lk{kRdkj dk fnukd & ckn e vf/kIfpr fd;k tkoxkA

उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

[k.M Bvp

- 1- d'i;k vkonu i= Hkju l; igy lko/kkuhioid funi'kk dk i< yA vki funi'k ifLrdk io'k ijh{kk fy d l; MkmuykM dj ldr gA
- 2- vkonu i=] foKkiu fnukd l; fnukd 22@05@2018¼exyokj½ dk jkf= 11-59 ct rd vkuykbu Hkj tk ldr gA
- 3- ;fn fd lh vH;Fkhl }kjk vkuykbu vkonu Hkju o fu/kkfjr 'kYd dk Hkxrku dju d i'pkr mld }kjk dh xbl dkb =fV lkeu vkrh g] rk , l; vH;Fkhl fnukd 25-05-2018 ¼'kdioKj½ jkf= 11-59 ct rd lcf/kr =fV dk ,e0ih0vkuykbu }kjk iR;d VktD'ku d fy, fu/kkfjr 'kYd ¼` 50@&½ tek dj l/kkj ldxA ijr bld i'pkr Hkh ;fn vH;Fkhl }kjk vlr; ;k xyr tkudkj vkuykbu vkonu e nh tkrh g] rk ,lh fLFkr e vkond dh vH;fFkrk fujLr dj nh tkoxhA

ijh{kk&'kYd vkj ikVy 'kYd&

vukjfk r oxi rFkk e/;in'k jkT; d ckgj d fuoklh lHkh vkondk d fy, ` 100@& ,eihvkuYkkbu dk n; ikVy 'kYd ,o

` 100@& ijh{kk 'kYd vFkkir` 100\$100¾` 200@&¼nk l k½ rFkk
e/;ini'k jkT; d; fuoklh vkjfk{kr ox;@fn0;kx vkondk d; fy,
,eihvkuYkkbiu dk ni; doy ikVy 'kYd` 100@& ¼l k½ ni;
gkxkA

vkuykbiu vkonu Hkju lEcU/kh egRoi.k tkudkjh %&

आवेदन पत्र वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर **Authorized Kiosk list Link** देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

bVjuV dQ; k Lo; i ?kj cB dEl;Vj }kjk bVjuV d; ek;/e l vkonu Qke; Hkju dh fof/k%&

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज ऑप्शन में क्लिक करें फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् **MP High Court** के **Logo** पर **Click** करें तत्पश्चात् **Application and Services** ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दी हुई link पर click करें।

नागरिक सेवाएँ

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले **Advertisement** को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही **Online Apply** करने के लिए **Form** को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना uohu jixhu QkVk gLrk{kj l fgr अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के **Link** (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। **Hyperlink** को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्कैन कर **.jpg** फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Browse** बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक vkonu Qke; uEcj प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये **Proceed to Payment** बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

1— क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2— इंटरनेट बैंकिंग।

3& ØfMV@MfcV dkM; d; ek;/e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku %& आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये

Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी।
vkond bl j lhn dk l Hkkydj j [kA

4& buVjuV cfdx d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku %& आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त **Proceed to Payment** बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लागू-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। bl dk fiUV vo'; yA

5& ,e-ih-vkuykbu fd;kLd d ek/;e l vkonu Qkei Hkju dh fof/k%& आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर ,lyhdi'ku में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारीयों आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारीयों फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों सही-सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। vkond bl j lhn dk /;kuiod i< y rFkk viu: ikl l Hkkydj j [kA

6& ;fn vkond d ikl ØfMV@MfcV dkMl ;k uVcfdx lfo/kk miyC/k ugh g] rk Hkj x; Qkei dk fd;kLd d ek/;e l Pay for unpaid Application fy'd }kjk ijh{kk 'kYd dk uxH Hkxrku dj l drk gA ijh{kk 'kYd dk Hkxrku iR;d vkond dk djuk vfuok;l gA

7& इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम0 पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारीयों भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। vkond bl j lhn dk l Hkkydj j [kA

8& ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हे ऑनलाइन नहीं भरा गया हो अथवा ऑनलाइन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया हो। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक

ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

ukV :- यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर “संपर्क करें” में क्लिक करें तथा “शिकायत” विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल- 402026, Qku %0755% 4019400

inuke] orueku rFkk vgrk; %&

inuke	orueku	U;ure 'k{kf.kd vgrk	ojh;rk
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी %j lkb; k] HkR; j Lohij ,o ekyh% %dyDVj jV) प्रवर्ग	dyDVj jV %yxHkx ` 7o00@&%	आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण।	कार्य का अनुभव/ तकनीकी योग्यता/ लाइट मोटर व्हीकल चलाने की योग्यता आदि।

Vhi %& आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन की अंतिम तिथि 22.05.2018 तक उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।

lknoxi (i) j lkb; k %iii% Lohij (iii) ekyh (iv) HkR; prFk Ji.kh %vkdfLedrk fuf/k l oruHkxh depkjh@dyDVj jV% iox di ink dk vkj{k.k jkLVj %&

I-Ø-	vukjfk{kr	vofiOoxi	vu0tkfr	vu0tutkfr	;kx
1	21 (Including 01-PH)	05	06 (Including 01-PH)	08	40

%2% vk; dh x.kuk %&

दिनांक 01-01-2018 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-3-5/2001/3/1, भोपाल दि. 17 अगस्त, 2004 के अनुसार, निम्नानुसार होगी :-

1	पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अ0पि0वर्ग0)	40 वर्ष
3	महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	35+10 = 45 वर्ष
4	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अ0पि0वर्ग0)	35+5+10 = 50 वर्ष
5	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	35+10+5 = 50 वर्ष
6	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग)(अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग0)	35+5+10+5 = 55 वर्ष

ukV%& दिव्यांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।

3½ vuoh{k.k %Ldhfux½ %mijkDr lHkh ioxk d ink gr½ %& %20 vid½

vuoh{k.k %Ldhfux½ हेतु समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एम.पी.ऑनलाईन द्वारा जारी किया जावेगा। vuoh{k.k %Ldhfux½ gr½ vH;fFk;k dk lfefr d le{k उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ मूल पहचान पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। vuoh{k.k %Ldhfux½ के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। vuoh{k.k %Ldhfux½ में प्राप्त अंको को अंतिम चयन सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जावेगा।

4½ e[; lk{kRdkj %20 vid½& अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) के पश्चात् मेरिट अनुसार सफल पाए गये अभ्यर्थियों की सूची 1½3 के अनुपात में तैयार कर परीक्षा सेल के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी और उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर भी डाली जावेगी। साक्षात्कार हेतु सफल पाए गये अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित fyQkQ d mij Li"V :i l ft l in gr vkonu&i= Hk tk tk jgk g v fdr d jr g, i f"kr fd;k tkuk vko';d gkxA यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में बुलाये जायेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। vkou i= ijh{kk l y }kjk fu/kkfjr dh xbl frfFk e vko';d :i l fifli y jftLVkj %ijh{kk½ mPp U;k;ky; e0 i0] tcyij d uke l lckf/kr d jr g,] mPp U;k;ky; e;/in'k] tcyij dh vkod 'kk[kk (Receipt Section) e0;fDrxr :i l vFkok LihM ikLV d ek;/e l tek djuk gkxA fu/kkfjr frfFk d ckn iklr vkonuk dk fu jLr ekuk tk;XkA उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा। मुख्य साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। मुख्य साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट के अनुसार केटेगरी वाईस अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।

5½ p;u ,o vH;fFkrk d lc/k e vU; vko';d tkudkj h %&

- (1) अभ्यर्थी केवल एक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी और उसके आवेदन/आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो –
 - (क) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - (ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
 - (ग) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
 - (घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

ink_{dh} l_;k e_i deh@of) g_k l_{drh} g_i vFkk_r ink_{dh} l_;k ifjoriuh; jg_{xh}A vfre p;u d_i io_i fd_{lh} Hkh p_j.k e_i ,lh fjfDr; k bl foKkiu d_i vrx_r 'kf) i= }kjk idkf'kr dh tk; xh] ijUr_i ,lh fjfDr ink_{dh} d_i fy, iFkd_i l_i vkonu i= vkef=r ugh fd; tk; x_r rFkk bl foKkiu e_i fu/kkfjr vfre frfFk rd iklr vkonu i=k d_i vkond gh ik= jg_{xh}A

- (4) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।
- (5) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही मुख्य साक्षात्कार दिनांक को भी होगी और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
- (6) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।
- (7) ऑनलाईन आवेदन पत्रों में की गई त्रुटियों के सुधार हेतु एक निश्चित समय प्रदान किया जावेगा तथा इसी निश्चित समय में समस्त अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार करवाना आवश्यक होगा निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा बल्कि अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
- (8) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-7-13/2004/आ.-प्र./एक भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।
- (9) अनुवीक्षण/साक्षात्कार दिनांक की सूचनाएं परीक्षा सेल म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के सूचना पटल एवं उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। प्रवेश पत्र एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाइट में प्रकाशित किये जावेंगे जिसका अभ्यर्थी को स्वयं प्रिन्ट निकालना होगा जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगा।
- (10) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।
- (11) पुनःमूल्यांकन/पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

iklrkd@Ldkj dkM% &

स्क्रीनिंग साक्षात्कार एवं मुख्य साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाइट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिये जावेंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक/स्कोर कार्ड, अपनी आई.डी. (आवेदन क्रमांक), पासवर्ड (जन्मतिथि) एवं ओ.टी.पी. (रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जावेगा) से लॉग-इन कर देख सकते हैं तथा प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

l|puk d| vf/kdkj d| rgr tkudkj h %&

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

fofu"Vhdj.k %&

आवेदन-पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

%ekgEen Qghe vuoj½
jftLVkj tu jy
